

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/स्था0/जोन-कोटा/सा. 24/2024/

दिनांक:-

-:: शुद्धिकरण ::-

निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निदेशालय के द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों में निम्नानुसार शुद्धिकरण किया जाता है:-

| क्र० सं० | कर्मचारी का नाम                           | निदेशालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक में क्रम संख्या | पदस्थापन जिला | संशोधन/शुद्धिकरण   |
|----------|---|---|---------------|--|
| 1.       | लीला बोरदिया, नर्सिंग ऑफिसर               | 412 दिनांक 24.8.2023 में क्रम संख्या 12                         | कोटा          | कार्मिक का नाम लीला बारदिया के स्थान पर लीला बोरदिया पढा जावे।   |
| 2.       | प्रेमलता गौचर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता | 365 दिनांक 13.7.2023 में क्रम संख्या 03                         | बारां         | कार्मिक की जन्मतिथि 31.07.1983 के स्थान पर 31.07.1988 पढा जावे।  |
| 3.       | आलोक कुमार, नर्सिंग ऑफिसर                 | 511 दिनांक 23.02.2024 के क्रम संख्या 01,02,04 एवं 06 तक।        | कोटा          | उक्त नर्सिंग कर्मियों का प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक 249 दिनांक 18.02.2021 के स्थान पर प्रथम नियुक्ति आदेश 929 दिनांक 05.10.2020 पढा जावे। |
| 4.       | देवेन्द्र किशोर मण्डावत, नर्सिंग ऑफिसर    |   |               |  |
| 5.       | योगेन्द्र पंकज, नर्सिंग ऑफिसर             |   |               |  |
| 6.       | ओसीन बानों, नर्सिंग ऑफिसर                 |   |               |  |
| 7.       | सरिता मीणा, नर्सिंग ऑफिसर                 | 511 दिनांक 23.02.2024 के क्रम संख्या 03                         | कोटा          | कार्मिका का प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक 249 दिनांक 18.02.2021 के स्थान पर प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक 309 दिनांक 28.04.2020 पढा जावे।      |

शेष आदेश यथावत्।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 07/03/2024

क्रमांक:- नर्सिंग/स्था0/जोन-कोटा/सा. 24/2024/522  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा/बारां।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटा।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref  
5830585

Document: निदेशक (अराजपत्रित) MAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
Digitally Signed by: राकेश कुमार शर्मा  
Kumar Sharma, जयपुर  
Designation: Director  
Date :07-03-2024 11:52:48